तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व ता[illegible] अहकाम जो[illegible] हुक्म की ता[illegible] में जारी[illegible]
15-5-15	वकील उभयपक्ष उपस्थित हैं। वकील प्रतिवादी जवाब को समय चाहते हैं। अतः जवाब हेतु पत्रावली दि० 27-5-15 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	1373-76 11.6.15
26-5-15	पत्रावली आज लोक अदालत में कैम्प नौगांव पर पेश हुई। वादीगण रमेशचन्द व इमरती बाई तथा प्रतिवादीया रामपति उपस्थित है। पक्षकारों ने लिखित राजीनामा पेश किया। राजीनामे के अनुसार भूमि का विनिमय कराने की आपसी सहमति पक्षकारों में हुई है तथा वादीगण ने दावा वापस लेने की अनुमति चाही है। प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर वादीगण को दावा वापस लेने की अनुमति दिया जाना उचित है। अतः राजीनामे के अनुसार वादीगण को वाद वापसी की अनुमति दी जाती है। पर्चा डिक्री जारी किया जावे। राजीनामा डिक्री का हिस्सा रहेगा। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) (सतीश कुमार शर्मा) सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी कैम्प नौगांव (हस्ताक्षर) (मुनिदेव यादव) अध्यक्ष लोक अदालत गंगापुर सिटी एवं उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी कैम्प नौगांव	रमेश इमरती जयपति नि० रामपति

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 .और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट) कैम्प नौगांव

पीठासीन अधिकारी–: मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

1. रमेशचन्द पुत्र रामफूल जाति माली निवासी नौगांव तहसील गंगापुर सिटी
2. इमरतीबाई पत्नि रमेशचन्द जाति माली निवासी नौगांव तहसील गंगापुर सिटी ––वादीगण

बनाम

1. रानपति पत्नि जगदीश जाति माली निवासी नौगांव तहसील गंगापुर सिटी
2. लैण्ड होल्डर व उप पंजीयक जरिए तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी ––प्रतिवादीगण

दावा घोषणां खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. – 151 / 2014

वादी की ओर से वादी रमेशचन्द एवं इमरती बाई की व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी रानपति पत्नि जगदीश की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 26.5.2015 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 1 के मध्य हुए राजीनामे के अनुसार पक्षकारान उनके मध्य विनिमय की गई भूमि का रजिस्ट्रेशन करवाकर भूमि का विभाजन राजीनामे में दिए गए विवरण के अनुसार करवा लेंगे एवं राजीनामे के अनुसार वादीगण को यह दावा वापिस लेने की अनुमति दी जाती है। राजीनामा निर्णय का हिस्सा रहेगा ।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 26.5.2015 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

(मुहर: उप जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी)

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4 ________रूपये पर प्लीडर की फीस 5 साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामील		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	

प्रपत्र-4

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, गंगापुर सिटी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :- नौगांव

राजीनामा प्रपत्र

दिनांक 26/5/15

श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय,
गंगापुर सिटी

रमेश वगैरह बनाम रामपति वगैरह
प्रकरण संख्या :- 15/14 अन्तर्गत धारा 88,188 R.T. Act

उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थी / वादी श्री रमेश चन्द पुत्र रामफूल, इमरती पत्नि रमेश
निवेदन है, कि उक्त उनवान का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो गया अब हमारे बीच कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं।
हमारा आपसी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है :-
[illegible handwritten terms: खसरा नं. 805 रकबा 0.05 है० ... ग्राम नौगांव ... आदेश ... अनुसार ... रामपति पत्नि जगदीश ... मिन्जुमला]

अतः श्रीमान् से निवेदन है, कि हमारा राजीनामा तस्दीक कर मुकदमें का निस्तारण करने की कृपा करें।

वादी पक्ष 1. रमेशचन्द पुत्र रामफूल जाति-माली नि० नौगांव
2. इमरती बाई पत्नि रमेशचन्द जाति-माली नि० नौगांव
3.
4. ....

प्रतिवादी पक्ष 1. रामपति पत्नि जगदीश जाति-माली नि० नौगांव
2. ....
3. जगदीश
4. जगदीश पुत्र रामफूल जाति-माली नि० नौगांव

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर (वादी पक्ष) नाम इन्द्राज उपाध्याय सरपंच ग्राम पंचायत नौगांव
पहचानकर्ता के हस्ताक्षर (प्रतिवादी पक्ष) नाम इन्द्राज उपाध्याय सरपंच ग्राम पंचायत नौगांव

प्रार्थी / वादी रमेशचन्द व इमरती एवं अप्रार्थी / प्रतिवादी रामपति
द्वारा सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामें की इबारत को सुन व समझ कर सही होना पाया गया अतः राजीनामा हस्बख्वाहिश पक्षकार तस्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल मिसल रहे।

(ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (सतीश कुमार शर्मा Adv.) सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी कैम्प नौगांव (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य)

(मुक्तिदेव यादव) अध्यक्ष
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत गंगापुर सिटी एवं उप जिला कलेक्टर